

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 192/2018

दायर दिनांक 13.06.2018

वादीगण	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. रघुवीरसिंह पुत्र अजमलसिंह, 2. देवीसिंह पुत्र अजमलसिंह, समस्त, जाति-राजपूत, निवासी-जेवलियाबास, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।		1. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-88, R.T.Act.

उपस्थित:-

1. पक्षकारान्।

--: निर्णय ::-

दिनांक 30.06.2018

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद बरांगना में खसरा नम्बर 149 रकबा 13.07 बीघा व खसरा नम्बर 152 रकबा 10.13 बीघा व खसरा नम्बर 178 रकबा 10.08 बीघा तथा खसरा नम्बर 156 रकबा 01.03 बीघा व खसरा नम्बर 157 रकबा 0.13 बीघा व खसरा नम्बर 179 रकबा 06.01 बीघा व खसरा नम्बर 180 रकबा 03.02 बीघा अवस्थित है एवं शरहद जेवलियाबास खसरा नम्बर 04 रकबा 0.05 बीघा व खसरा नम्बर 05 रकबा 19.15 बीघा व खसरा नम्बर 321/161 रकबा 29.12 बीघा तथा खसरा नम्बर 01 रकबा 16.10 बीघा व खसरा नम्बर 91 रकबा 08.16 बीघा व खसरा नम्बर 98 रकबा 19.12 बीघा व खसरा नम्बर 111 रकबा 04.00 बीघा व खसरा नम्बर 149 रकबा 24.05 बीघा भूमि अवस्थित है।

प्रार्थना वादीगण है कि,

शरहद बरांगना में खसरा नम्बर 149 रकबा 13.07 बीघा व खसरा नम्बर 152 रकबा 10.13 बीघा व खसरा नम्बर 178 रकबा 10.08


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 192/2018
दायर दिनांक 13.06.2018, निर्णय दिनांक 30.06.2018
रघुवीरसिंह, वगैरा बनाम् तहसीलदार, वगैरा।


बीघा व खसरा नम्बर 156 रकबा 01.03 बीघा व खसरा नम्बर 157 रकबा 0.13 बीघा व खसरा नम्बर 179 रकबा 06.01 बीघा व खसरा नम्बर 180 रकबा 03.02 बीघा एवं शरहद जेवलियाबास खसरा नम्बर 04 रकबा 0.05 बीघा व खसरा नम्बर 05 रकबा 19.15 बीघा व खसरा नम्बर 321/161 रकबा 29.12 बीघा व खसरा नम्बर 01 रकबा 16.10 बीघा व खसरा नम्बर 91 रकबा 08.16 बीघा व खसरा नम्बर 98 रकबा 19.12 बीघा व खसरा नम्बर 111 रकबा 04.00 बीघा व खसरा नम्बर 149 रकबा 24.05 बीघा भूमि बाबत् रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 12.12.2011 पुस्तक संख्या 03 जिल्द संख्या 20 पृष्ठ संख्या 130 क्रम संख्या 2010000050 के आधार पर खातेदार रसालकँवर के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे व रसालकँवर का नाम हटाया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वादीगण ने वाद के समर्थन में शपथ-पत्र, जमाबन्दियाँ खाता संख्या 328/307 व 254/237 शरहद बरांगना तथा 146/135 व 118/111 व 119/110 शरहद जेवलियाबास, ग्रामपंचायत बरांगना द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र, रसालकँवर की मृत्यु दिनांक 14.05.2017 के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, वसीयत दस्तावेज की छायाप्रति, पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्ट कोर्ट फोलोअप कैम्प-डीडवाना में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। वादीगण का निवेदन है कि, रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 12.12.2011 पुस्तक संख्या 03 जिल्द संख्या 20 पृष्ठ संख्या 130 क्रम संख्या 2010000050 के आधार पर खातेदार रसालकँवर के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण की इस्तदुआ पर मनन् किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया गया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। वादीगण उक्त वसीयत के आधार पर रसालकँवर के स्थान पर खातेदारी चाहते हैं। ऐसी स्थिति में, उक्त रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 12.12.2011 पुस्तक संख्या 03 जिल्द संख्या 20 पृष्ठ संख्या 130 क्रम संख्या 2010000050 की जाँच तहसीलदार डीडवाना से करवाई जाकर, वादीगण


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 192/2018
दायर दिनांक 13.06.2018, निर्णय दिनांक 30.06.2018
रघुवीरसिंह, वगैरा बनाम् तहसीलदार, वगैरा।


के नाम से नामान्तरकरण दर्ज किया जाना न्यायालय हाजा को न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वादीगण का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।


आदेश

हसब दावा डिक्री सादिर कर, रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 12.12.2011 पुस्तक संख्या 03 जिल्द संख्या 20 पृष्ठ संख्या 130 क्रम संख्या 2010000050 की जाँच की जाकर,

शरहद बरांगना में खसरा नम्बर 149 रकबा 13.07 बीघा व खसरा नम्बर 152 रकबा 10.13 बीघा व खसरा नम्बर 178 रकबा 10.08 बीघा व खसरा नम्बर 156 रकबा 01.03 बीघा व खसरा नम्बर 157 रकबा 0.13 बीघा व खसरा नम्बर 179 रकबा 06.01 बीघा व खसरा नम्बर 180 रकबा 03.02 बीघा एवं शरहद जेवलियाबास खसरा नम्बर 04 रकबा 0.05 बीघा व खसरा नम्बर 05 रकबा 19.15 बीघा व खसरा नम्बर 321/161 रकबा 29.12 बीघा व खसरा नम्बर 01 रकबा 16.10 बीघा व खसरा नम्बर 91 रकबा 08.16 बीघा व खसरा नम्बर 98 रकबा 19.12 बीघा व खसरा नम्बर 111 रकबा 04.00 बीघा व खसरा नम्बर 149 रकबा 24.05 बीघा भूमि में वर्तमान में दर्ज मृतक खातेदार रसालकँवर के स्थान पर वादीगण के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है। डिक्री जारी हो।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डिप्टी कमिश्नर (तामबौर)
डीडवाना

कोर्ट फोलोअप कैम्प-डीडवाना
निर्णय आज दिनांक 30.06.2018 को सरे कोर्ट कैम्प में
सुनाया गया।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डिप्टी कमिश्नर (तामबौर)
डीडवाना

कोर्ट फोलोअप कैम्प-डीडवाना

डिक्री बमुकददमें इब्तादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 192/2018

दायर दिनांक 13.06.2018

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. रघुवीरसिंह पुत्र अजमलसिंह, 2. देवीसिंह पुत्र अजमलसिंह, समस्त, जाति-राजपूत, निवासी-जेवलियाबास, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-88, R.T.Act.

दिनांक 30.06.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे
व हाजरी मिनजानिब मुद्दई उपस्थित पक्षकारान् ओर से मददायलह पेश
होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 12.
12.2011 पुस्तक संख्या 03 जिल्द संख्या 20 पृष्ठ संख्या 130 क्रम संख्या
2010000050 की जाँच की जाकर,

शरहद बरांगना में खसरा नम्बर 149 रकबा 13.07 बीघा व
खसरा नम्बर 152 रकबा 10.13 बीघा व खसरा नम्बर 178 रकबा 10.08
बीघा व खसरा नम्बर 156 रकबा 01.03 बीघा व खसरा नम्बर 157 रकबा
0.13 बीघा व खसरा नम्बर 179 रकबा 06.01 बीघा व खसरा नम्बर 180
रकबा 03.02 बीघा एवं शरहद जेवलियाबास खसरा नम्बर 04 रकबा 0.05
बीघा व खसरा नम्बर 05 रकबा 19.15 बीघा व खसरा नम्बर 321/161
रकबा 29.12 बीघा व खसरा नम्बर 01 रकबा 16.10 बीघा व खसरा नम्बर
91 रकबा 08.16 बीघा व खसरा नम्बर 98 रकबा 19.12 बीघा व खसरा
नम्बर 111 रकबा 04.00 बीघा व खसरा नम्बर 149 रकबा 24.05 बीघा
भूमि में वर्तमान में दर्ज मृतक खातेदार रसालकँवर के स्थान पर वादीगण
के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करने का आदेश
तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....
.....-..... खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.....-.....

आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के
आज की तारीख 30.06.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट डीडवाना कैम्प डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक क्लर्क
डीडवाना (नामौर)
कोर्ट फोलोअप कैम्प-डीडवाना